Teacher-Ravi Shankar Ray Sub-Economics

Date-02-11-2020, Class-BA-II

FERA और FEMA में अन्तर

सन 1993 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA) [foreign Exchange Regulation Act) पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था, लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था इस कारण दिसम्बर 1999 में FEMA (Foreign exchange management Act) प्रस्तावित किया गया था। तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 1999 में FEMA प्रभाव में आ गया।

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा बहुत ही सीमित मात्रा में होती थी। इस कारण सरकार देश में इसके आवागमन पर नजर रखती थी। सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम पारित किया गया, जिसका

मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था। इस कारण सन 1997-98 के बजट में सरकार ने फेरा-1973 के स्थान पर फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) को लाने का प्रस्ताव रखा था। दिसम्बर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा पास किया गया था। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 1 जून 2000 को फेमा फेमा प्रभाव में आ गया था।

* फेमा क्या है?

फेरा कानून का मुख्य कार्य विदेशी भुगतान पर नियंत्रण लगाना, पूंजी बजार में कालेधन पर नजर रखना, विदेशी मुद्रा का आयात और निर्यात पर नजर रखना और विदेशियों द्वारा अचल सम्पतियों के खरीद को नियंत्रित करना था।

इस कानून को देश में तब लागू किया गया था जब देश की विदेशी पूँजी भण्डार बहुत ही खराब हालत में था। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के संरक्षण तथा अर्थव्यवस्था के विकास में उसका सही उपयोग करना था।

→ फेमा क्या है?

फेमा (FEMA) का महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनो का संसोधन और एकीकरण करना है। इसके अलावा FEMA का लक्ष्य देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी पूँजी और निवेश को देश में बढ़ावा देना ताकि औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। फेमा भारत में विदेशी मुद्रा बजार के रख रखाव और सुधार को प्रोत्साहित करता है।

FEMA भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर सम्पत्ति को खरीद सकता है, मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक भी किसी और को दे सकता है।

FERA और FEMA में निम्नलिखित अन्तर है—

1) फेरा को संसद ने 1973 में मंजूरी दी थी जबकि फेमा को संसद ने 1999 में मंजूरी दी।

2) FERA वर्तमान में लागू नहीं परन्तु FEMA वर्तमान में लागू है।

3) FERA में अनुभागों की संख्या 81 है जबकि FEMA में अनुभागों (sections) की संख्या 49 है।

4) FERA भारत में विदेशी भुगतानों पर नियंत्रण लगाने और विदेशी मुद्रा का सदुपयोग करने के लिए बनाया गया था परन्तु FEMA का उद्देश्य विदेशी व्यापार और विदेशी

भुगतान को बढ़ावा देना है और देश में विदेशी मुद्रा भण्डार को बढ़ाना है।

5) FERA के अन्तर्गत भारत का नागरिक उसी व्यक्ति को माना जाता था जो भारत का नागरिक हो। जबकि FEMA में भारत का नागरिक उस व्यक्ति को मान लिया जाता है जो 6 महीने से भारत में रह रहा हो।

6) (FERA) इसमें अपराध को क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में रखा जाता था जबकि FEMA में अपराध को दीवानी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।

7) FERA के अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर तीव्र सजा का प्रावधान था। परन्तु FEMA के अन्तर्गत दोषी पाए जाने पर सजा तभी होगी ~~जबकि~~ जबकि व्यक्ति नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदण्ड जमा न करे।

8) FERA के तहत मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी दोषी माना जाता था और उसे ही यह साबित करना होता था कि वह दोषी नहीं है। जबकि FEMA के तहत किसी गुनाह के संबंध में सबूत देने का बोझ आरोपी पर नहीं बल्कि फेमा लागू करने वाले अधिकारी पर होता है।